(ग) अल्युमीनियम एच० टी० और एल० टी० दोनों प्रकार के केबलों में इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(घ) जी, हां । अधिक शक्ति वाले पावर ट्रांसमिशन के लिये प्रयुक्त सभी कन्डक्टर अल्युमीनियम के बनाये जाते हैं और ये कई वर्षों से इस्तेमाल किये जाते रहे हैं ।

मंत्रि-परिषद में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 11 सितम्बर, 1964 को श्री नि० चं० चटर्जी द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार शुरू करेगी, अर्थात् :

"यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है ।"

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने वाद-विवाद का स्तर ऊंचा रखा और उन्होंने व्यक्तिगत कीचड़ नहीं उछाला । सब भाषणों में श्री हीरेन मुकर्जी का भाषण सुन कर मुझे बड़ी निराशा हुई । मुझे उनसे अधिक अच्छे भाषण की आशा थी ।

वाद-विवाद में खाद्य स्थिति का अनेक माननीय सदस्यों ने जिक्र किया । चूंकि खाद्य तथा कृषि मंत्री ने व्यापक रूप से इस प्रश्न का विश्लेषण कर दिया है, अतः मैं इसके ब्योरे में नहीं जाऊंगा ।

हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम खाद्य समस्या को कैसे हल करें । इसके लिये हमें दो उपाय करने होंगे । एक तो हमें देश के भीतर से अनाज इकट्ठा करना होगा चाहे वह पंजाब से हो, या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश से । दूसरा काम हमें यह करना होगा चाहे वह हमें पसन्द न हो, कि हम विदेश से खाद्यान्नों का आयात करें । कुछ महीनों में आयात किया हुआ चावल और गेहूं आ जाने के बाद वर्त्तमान कठिनाई को हम हल कर लेंगे ।

हो सकता है कि डा० लोहिया की बात मैं न समझ पाया हूं लेकिन उचित मूल्य की गल्ले की दुकानें बन्द करने का कोई इरादा नहीं है । हम उचित मूल्य की गल्ले की दुकानों की संख्या बढ़ायेंगे । इन दुकानों का प्रबन्ध भी अच्छे ढंग से होना चाहिये । बताया गया है कि कुछ राज्यों में इन उचित मूल्य की दुकानों के लिये जो गल्ला दिया जाता है, उसमें से 25 या 30 प्रतिशत गल्ला चोरी छिपे निकाल करके खुले बाजार में बेचा जाता है । अतः उचित मूल्य की दुकानों का संचालन ठीक ढंग से होना चाहिये । देहातों में इन दुकानों का काम अच्छा नहीं रहा है, प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाला अनाज सरकार की सहायता से सस्ता मिलता है । इस पर सरकार बहुत अधिक सहायता देती रही है । 1961 में करीब 15 से 16 करोड़ रु०, 1962 में 21 करोड़ रु०, 1963 में 36 या 37 करोड़ रु० और अनुमान है कि 1964 में

करीब 50 करोड़ रु० खर्च होंगे। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि गरीब जनता को उचित मूल्य की दुकानों से गल्ला मिलता रहे। सरकार इस संबंध में निरन्तर सहायता करती रहेगी।

कुछ राज्यों में खाद्यान्न की स्थिति बहुत खराब है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार आदि। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी स्थिति खराब है। दिल्ली के कुछ भागों में भी खाद्यान्न की कमी है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की भी मदद करनी है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी संकट है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जल-निरोध की भी समस्या है। पंजाब में यदि जल निरोध की समस्या हल हो जाये तो वहां करीब 2 लाख टन और गल्ला पैदा हो सकता हैं। इस कठिनाई के कारण वहां के किसान फसल नहीं बो पाते।

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सभी विभागों को ध्यान देना चाहिये। एक विशेषज्ञ ने यह राय दी थी कि पिछले कुछ वर्षों में बनी नहरों, पुलों, पुलियों के कारण और उनमें कोई समन्वय न होने के कारण जल-निरोध की समस्या बनी हुई है।

मैं सरकार की निन्दा कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि चाहे रेलवे विभाग हो, या परिवहन हो या सिंचाई विभाग हो, कोई भी विभाग इस बात के लिये अपने को उत्तदायी मानने के लिये तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि विभिन्न विभागों के कामों में कोई समन्वय नहीं है। इसमें मैं अपने को उत्तरदायी मानता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कुछ समन्वय अवश्य होना चाहिये और जल-निरोध की समस्या हल होनी चाहिये। उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिये। मंत्रालयों के सचिवों की बैठक में भी मैंने इस बात पर जोर दिया था। मैंने उनसे कहा था कि हमारे मंत्रालयों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में कुछ समन्वय अवश्य होना चाहिये।

इसके अलावा अनाज के लादने-उतारने और पहुंचाने की व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिये। इस बीच रेलवे ने इस दिशा में बड़ी कुशलता से काम किया है। हमारा बड़ा उत्तर-दायित्व है और आगे के दो महीने बड़ी कठिनाई के होंगे। अतः हमें जनता में या स्वयं में कोई निराशा की भावना नहीं पैदा करनी चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि हम कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे।

अमरीका के पत्तनों पर कुछ कठिनाई होने से आयात का अनाज आने में कुछ विलम्ब हो गया है। कुछ अन्य देशों को जा रहे अनाज के जहाजों को बीच से ही भारत भेज दिया गया है, अतः आशा है कि इस महीने के तीसरे सप्ताह तक हमारे यहां पर्याप्त अनाज आ जायेगा।

लेकिन मूल बात यह है कि हम खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ायें। हम दो कदम उठाने जा रहे हैं। जैसा कि खाद्य मंत्री बता चुके हैं हम खाद्यान्नों के उत्पादक के लिये मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं हम काफी समय से इस बात पर विचार कर रहे हैं। डा० लोहिया की बात की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यदि हम उत्पादक को अधिक मूल्य देंगे, तो कीमतें बढ़ती ही जावेंगी। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जायेगी। अतः हमें इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य भी इस मामले में हमारी सहायता करें। केवल आन्दोलनों से केवल लाभ नहीं होगा। तदर्थ मूल्य निर्धारित करने का काम एक निष्पक्ष संस्था

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

को सौंपा जाये। रबी की फसल की कीमतें जल्दी ही घोषित करनी होंगी। हमने केन्द्र में एक समिति नियुक्त की है श्री एल० के० झा उसके सभापति हैं और वित्त मंत्रालय व खाद्य मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि भी इस समिति में हैं। उत्पादकों के मूल्य के संबंध में उनकी रिपोर्ट शायद अगले सप्ताह आ जायेगी और थोक तथा परचून व्यापारियों के मूल्य के संबंध में उसकी रिपोर्ट इस महीने के अन्त तक आने की आशा है। अगले वर्ष जनवरी में संभवतः मूल्य आयोग नियुक्त किया जायेगा, जो एक स्थायी संस्था होगी और निरन्तर यह काम करता रहेगा।

उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मदद देने का प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता कि हम यंत्रीकृत कृषि न अपनायें या हमारे यहां सूरतगढ़ जैसे फार्म न हों। लेकिन इस समय यदि हम यंत्रीकृत कृषि को अपनायेंगे, तो हमें मशीनों का आयात करने में विदेशी मुद्रा खर्च करना होगा। बाद में हम यंत्रीकृत कृषि अपना सकते है। इस समय तो हमें किसानों को पानी, खाद, अच्छे बीज, ऋण की सुविधायें आदि देनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि इससे उनका उत्पादन अवश्य बढ़ेगा।

मुझे स्मरण है कि श्री जवाहरलाल जी कहा करते थे कि उन्हें बड़े-बड़े बुलडोजरो, ट्रैक्टरों आदि की आवश्यकता नहीं है। वह चाहते थे कि हमारे किसानों को अच्छी बीज और अच्छे हल दिये जाने चाहिएं। मेरी भी यही राय है और मेरा सुझाव है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे।

इस सम्बंध में सामुदायिक विकास खण्डों का बड़ा महत्व है। मैंने श्री एस० के० डे को सुझाव दिया है कि कुछ वर्षों तक ये खण्ड कृषि उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दें। खण्ड के अधिकारियों को यह काम सौंप दिया जाये कि वे प्रत्येक खेत का दौरा करें और देखे कि उसमें कितनी प्रगति हुई है और यदि प्रगति नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं? उन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रगति की एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है। जब तक खण्ड के अधिकारी पैदल नहीं चलेंगे, वे गांव की जनता के साथ घुलमिल नहीं पायेंगे। हम लोगों को, जब हम बाहर जाते हैं, डाक बंगले में ठहरने के बजाय गांव में ठहरना चाहिए।

जैसा कि मैं बता चुका हूं मुख्य समस्या उत्पादन की है। मैं यह नहीं कहता कि एक या दो वर्षों में हम इस मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे। हमें अगले 6–8 वर्षों तक खाद्यान्नों का रक्षित भंडार बनाये रखने की आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है कि किसानों के सामने बाढ़, सूखे या अन्य प्रकार की कठिनाइयां आयें। रूस जैसे देश ने इस मामले में कमाल कर दिखाया है। रूस इस समय अमरीका से बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात कर रहा है। तो मैं यह बता रहा था कि जब रूस जैसे देश के सामने ऐसी समस्या पैदा हो सकती है, तो उनके सामने हमारी क्या स्थिति है।

इसके बाद वितरण की बात बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अखिल भारतीय खाद्यान्न निगम स्थापित करने की बात कही है। यह एक प्रयोग है। हम खाद्यान्नों का सारा कारबार अपने एकाधिकार में नहीं लेंगे। यह निगम अगली जनवरी से इसी के आसपास काम करना आरम्भ कर देगा। यह कोई विचारधारा का या सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि जनता को उचित मूल्य पर गल्ला मिल सके। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम राज्य व्यापार आरम्भ करने जा रहे हैं। कुछ सदस्यों ने हमारी आलोचना भी की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जापान में भी, जहां स्वतंत्र व्यापार की परिपाटी है, राज्य सारा अनाज इक्ट्ठा कर लेता है और

करीब 36,000 या 40,000 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा उसका वितरण होता है। उन्होंने बड़ी सफलता से यह काम किया है। वे बड़ी मात्रा में अनाज की कीमतों में राजकीय सहायता भी देते हैं। हम उतनी सहायता नहीं दे पायेंगे। अतः हम किसी नीति के कारण कोई काम नहीं कर रहे हैं। अनेक व्यवहारिक कदम हम उठायेंगे और देखेंगे कि देश के लिए क्या हितकर है। वही हम करेंगे। हम उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की व्यवस्था करने का पूरा प्रबंध करेंगे।

यह भी धारणा है कि राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सच है कि चावल और गेंहूं के लिए राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु अब राज्यों को एक नये दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। कुछ राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन जरूरत से कम होता है, उनमें तो कठिनाई है ही। जो राज्य लगभग आत्मनिर्भर हैं, वे भी केन्द्र पर निर्भर है। इससे प्रशासन के सामने कठिनाई बढ़ गई है। वे उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न इस आशा से नहीं करते कि अन्त में केन्द्र हमें खाद्यान्न देगा ही। यह अच्छी बात नहीं है।

मैं सामान्य प्रयोग को वस्तुओं जैसे कपड़ा, चीनी, बनस्पति तेल, सब्जी, दियासलाई, नमक, साइकिल के टायर और ट्यूब की कीमतें बढ़ जाने के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इन 10 या 12 वस्तुओं की कीमतें निर्धारित हों जानी चाहिएं। कपड़े के संबंध में तो एक योजना बन गई है कि साड़ियों, लट्ठे, धोतियों, जीन, कमीज के कपड़े आदि में मूल्य पर नियंत्रण कर दिया जाये। इस प्रकार आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कपड़े उचित मूल्य पर बेचे जाने चाहिएं। श्री मनुभाई शाह ने मुझे बताया है कि इन कपड़ों पर कानूनी मूल्य नियंत्रण हो जायेगा। इन कपड़ों पर स्टैम्प लगाया जायेगा।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : दवाओं के बारे में क्या होगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक औषध तथा दवाइयों का सम्बंध है मैंने कुछ अधिकारियों को बाजार में भेज कर दवाइयां मंगाई थीं। उन्होंने बताया है कि उनके मूल्यों में कोई वद्धि नहीं हुई। दियासलाई पर कुछ लोग एक नया पैसा फालतू ले रहे हैं।

हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को राहत मिले। अमीर तो बढ़िया कपड़ा और बढ़िया दवाइयां भी खरीद सकते हैं।

चाहे कृषि हो या उद्योग, ऐसे निकाय की आवश्यकता है जो वस्तुगत दृष्टि से एकीकृत योजना बनाए। इसलिए हमें योजना का सिद्धांत सर्वथा मान्य है।

श्री दांडेकर का भाषण सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। मुझे ज्ञात है कि वे सुयोग्य आई० सी० एस० अफसरों में से एक है किन्तु उन्हें लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का कुछ पता नहीं। सफलता को आंकड़ों द्वारा देखा जा सकता है। इस अवधि में खाद्यान्न का उपभोग 13.5 औंस से बढ़ कर 15.3 औंस, कपास का 10.98 मीटर से 14.63 मीटर, चीनी का 3.2 से 5.2 तक हो गया है। इसी तरह अन्य वस्तुओं का उपभोग बढ़ा है। इन वर्षों में श्री नेहरू जैसे महान नेता के नेतृत्व में भारत के लोगों ने महान प्रयत्न किये हैं। निस्संदेह विकास काल में अत्यंत गम्भीर समस्याएं पैदा हुआ करती हैं। किन्तु ये प्रगतिशील राष्ट्र की समस्याएं हैं।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

जैसा गृह मंत्री ने कहा है, संथानम आयोग की नियुक्ति के लिए मैं उत्तरदायी हूं। उनके पद निदश में राजनैतिक लोगों का उल्लेख नहीं था किन्तु मैंने श्री सन्थानम से कहा था कि वे अनौपचारिक रूप से इस बारे में मुझे बताएं।

नन्दा जी ने राजनैतिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है। यद्यपि यह काम बहुत जटिल है किन्तु मैं इससे मुंह नहीं मोड़ता। किन्तु ऐसे मामलों में कानून बहुत प्रभावी नहीं होता अतः हमें कुछ प्रथाएं बनानी होंगी। एक प्रथा यह होगी कि यदि प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री किसी मंत्री से कहे कि उसके खिलाफ कोई मामला है तो उस मंत्री को तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए।

मुख्य मंत्री किसी छोटे राज्य का हो या बड़े का वह एक उत्तरदायी पद का प्रभारी होता है, अतः उसे हर समस्या प्रधान मंत्री को नहीं सौंपनी चाहिये। मुख्य मंत्रियों को संदेह से परे होना चाहिये। कुछ मुख्य मंत्रियों के बारे में जो बातें यहां कहीं गई थीं उनकी जांच पर वे निराधार पाई गई थी। कैरों का मामला स्वयं नेहरू जी ने न्यायिक अधिकारी को सौंप दिया था। मुझे खेद है कि हमारे दल के अपने लोग बिना जांच के निराधार आरोप लगाते हैं। एक संगठन के सदस्य होने के नाते उन्हें दल के नेताओं को बताना चाहिये। इसका यह अभिप्राय नहीं कि वे देश के प्रति उत्तरदायी नहीं बल्कि अभिप्राय यह है कि समाचार पत्रों को सूचना देने से पहले उन्हें दल को सूचित करना चाहिये। मुख्य मंत्रियों को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये। यदि उनके विरुद्ध कोई शिकायतें हों तो पहले उन्हें स्वयं निर्णय करना चाहिये और फिर मुझे निदश करना चाहिए। मैं विश्व को यह आभास नहीं देना चाहता कि यह देश भ्रष्टाचार से भरा हुआ है।

मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में ईमानदारी का सर्वाधिक सम्मान किया जाता है। विनोवा भावे जैसे ईमानदार और श्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना में प्रधान मंत्री का सम्मान यहां कम होता है। अतः सामान्यतः यह देश ईमानदार है।

एक बात यह है कि मंत्रियों और प्रशासन को स्व विधेक का इस्तेमाल भी करना पड़ता हैं। इसके बिना तो प्रशासन जड़वत हो जायेगा। यदि हम अधिकारियों पर विश्वास न करे तो उससे बहुत कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी क्योंकि प्रशासन का सारा संचालन उन्हें करना होता है।

मैं श्री संजीवा रेड्डी को मंत्रिमंडल में लेने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब कहीं परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो इस धंधे के लोग सदा इसका विरोध करते हैं। ऐसा ही आंध्र प्रदेश में हुआ था। वहां के उच्च न्यायालय ने कहा था कि मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए, किन्तु उच्चत्तम न्यायालय ने कहा कि ये आरोप खंडित नहीं किये गये। मुख्य मंत्रीको राज्य के कानूनी सलाहकार ने कहा था कि वे शपथ पत्र न दें, इसलिए उन्होंने शपथपत्र नहीं दिया। अतः तकनीकी आधार पर उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसी प्रकार के तकनीकी विषय पर इस सभा में कहा गया था कि श्री कैरों को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। किन्तु श्री संजीवा रेड्डी में अनुभव किया कि उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय के बाद उन्हें पद पर आरूढ़ नहीं रहना चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : उच्चत्तम न्यायालय ने तो लिखा है कि निगम ने कोई और निर्णय किया था और श्री संजीवा रेड्डी ने उसे बदलवाया।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं उनके साथ इस निर्णय पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इसके अन्त में लिखा गया है कि आरोपों का खण्डन नहीं किया गया। केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने श्री संजीवा रेड्डी के पद त्याग की सराहना की क्योंकि यह लोकतंत्र की उच्च परम्परा के अनुकूल था। इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

श्री हीरेन मुकर्जी ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं श्री नेहरू के पथ से विचलित हो रहा हूं। प्रोफेसर होने के नाते उन्हें स्थिति को समझ लेना चाहिए था किन्तु वे साम्यवादी है अतः उनके लिए समझना कठिन है। लोकतंत्र में पथ से विचलित नहीं हुआ जाता। मैंने पद भार संभालते ही कहा था कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में श्री नेहरू की नीति का पालन करेगी और आन्तरिक मामलों में लोकतंत्रात्मक समाजवाद के आदर्श की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगी। किन्तु फिर भी उन्होंने मेरी आलोचना की है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सोचने की स्वतंत्रता होती है। स्वातंत्र संघर्ष के 40 या 42 वर्ष के इतिहास से यह बात स्पष्ट हो जाती है। महात्मा गांधी ने जब उस संघर्ष की बागडोर संभाली तो उन्होंने उसके दर्शन में आमूल परिवर्तन कर दिया था। लोक मान्य तिलक इस सिद्धांत के पक्ष में थे कि "जैसे को तैसा" व्यवहार करना चाहिए। श्री अरविन्द सशस्त्र संघर्ष के पक्ष में थे। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। नेहरू जी उनके शिष्य थे किन्तु उन्होंने अहिंसा को कभी सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाया। फिर भी वे गांधी जी के निष्ठावान भक्त थे और उन्होंने अहिंसा को इस रूप में अपनाया था कि श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए उपाय भी श्रेष्ठ अपनने चाहियें। उन्होंने अहिंसा में शान्ति का संदेश पाया था। नेहरू जी ने विश्व भर में अहिंसा और शांति का सन्देश पहुंचाया। प्रशासन का कार्यभार संभालने पर वे गांधी जी के सब सिद्धांतों कोप्रशासन में कार्यान्वित नहीं कर सके।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : Will you also have the same relation to Nehruji.

Shri Lal Bahadur Shastri : I would frankly tell about that as well.

भारत की ही बात क्यों कही जाए। रूस को लीजिए। लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को पूर्ण-रूपेण कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया किन्तु विफल होने से उसने नई आर्थिक नीति को अपनाया। उसके बाद स्टालन तो क्रान्तिकारी था ही नहीं। वह तो केवल अपने शासन को सशक्त बनाने और सत्तारूढ़ रहने के लिए हीं प्रयत्न करता रहा है। श्री खुश्चेव ने स्टालिन से सर्वथा भिन्न मार्ग को अपनाया है। साम्यवाद के क्षेत्र में दूसरे महान नेता माओत्सीतुंग ने किस मार्ग को अपनाया है उसे आप सब जानते हैं। श्री ख्रुश्चेव सब से महान हैं क्योंकि वे पिटे पिटाये मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : तब सरकार को अक्सर नेहरू के नाम का सहारा नहीं लेना चाहिए।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम अपने कृत्य के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं किन्तु हम अपने महान नेता को कभी भूल नहीं सकते।

मैंने नेहरू जी से दो बातें सीखी हैं। उनकी एक खूबी यह थी कि वे उन लोगों के साथ मिल कर भी काम कर सकते थे जिनके साथ उनका सर्वथा मतभेद होता था। विपक्षी सदस्यों की अपेक्षा मैं उन्हें अधिक अच्छी तरह जानता था। टंडन जी के साथ उनका घोर मतभेद था किन्तु फिर भी वे उनसे मिल कर काम करते थे।

श्री हेम बरुआ : वे बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, बल्कि वे अधिक सीधे थे। इतने सीधे थे कि यदि कोई उन्हें बताता था कि अमुक व्यक्ति बुरा है तो उन्हें विश्वास नहीं होता था किन्तु किसी व्यक्ति के यह कहने पर उसकी व्यर्थ में निन्दा की जा रही है वे तुरन्त मान लेते थे।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए।
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

श्री बुलगानिन और श्री खुश्चेव को दिये गये भोज में श्री नेहरू ने कहा था कि हमारे देशों में मैत्री-भाव बढ़ रहा है, यद्यपि हमने अलग-अलग मार्गों को अपनाया। हमारी अलग परम्परा है। हम विश्व-शांति में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि अच्छे उद्देश्य के लिए अच्छे उपाय अपनाने चाहियें। हम किसी सैनिक गुट में नहीं हैं। हमारा शिविर शांति और सद्भावना का शिविर है। इससे पता चलता है कि श्री नेहरू की नीति क्या थी और हम उसी नीति पर चलते रहेंगे। मैं सर्वथा अपनी ओर से काम नहीं कर सकता। मैं एक राजनैतिक संगठन का सदस्य हूं और उसने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPAKER *in the Chair*]

उस संगठन के आदेश का मुझे पालन करना है। यह संगठन भारत के जनमानस का प्रतिनिधित्व करता है। इस उद्देश्य से विचलित होते ही इस संगठन का भी अन्त हो जाएगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करता और न मूलभूत नीति से विचलित हो सकता हूं। हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे और इसे यथासंभव शीघ्र प्राप्त करेंगे।

श्री हीरेन मुकर्जी को हम में फूट डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं ; मैं उनकी चाल में नहीं आ सकता ; किन्तु मुझे उनसे सहानुभूति है। हमारी नीति और प्रशासन की वह जो आलोचना करते हैं, मैं उसे स्वीकारने और पधारने के लिए तैयार हूं, किन्तु उन द्वारा किए गए आरोपों पर मुझे बहुत दुःख हुआ है।

श्री हीरेन मुकर्जी : जब प्रधान मंत्री का उल्लेख किया जाता है तो वह व्यक्तिगत उल्लेख नहीं होता, बल्कि मंत्रि मंडल के प्रतिनिधि के रूप में उल्लेख होता है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : आप मंत्रि मंडल के सभी निर्णयों को देखिये। उन सब में हमने सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। वास्तव में उनकी समस्या यह है कि साम्यवादी दल में फूट है, इसलिए वे इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं।

श्री हीरेन मुकर्जी : श्रीमन्, व्यवस्था का एक प्रश्न है। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था किन्तु राजनैतिक आरोप लगाया था। परन्तु वे बार बार कह रहे हैं कि उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाया गया।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अच्छा होता कि जिस समय वे बोल रहे थे उस समय भी उनका यही रुख रहता। विचित्र बात है कि वे मुझे सिद्धांत के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं। किन्तु साम्यवादी

दल का क्या हुआ । चुनाव के समय उन्होंने डी० एम० के० के साथ गठजोड़ किया था । जिस समय चीन का आक्रमण हुआ तो वे शंकाग्रस्त थे और भारत तथा चीन को एक ही सार पर देख रहे थे । वे कहते थे कि आक्रमण तो हुआ है किन्तु आक्रान्ता कौन है । पता नहीं कि यदि उन्हें आक्रान्ता का पता नहीं तो वे इस देश का क्या करेंगे । फिर भी मैं श्री हीरेन मुकर्जी को इस बात का श्रेय देता हूं कि आखिर उन्हें अब पता चला है कि चीन की नीति क्या है । मैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि उस पर चर्चा होगी । किन्तु हम ने इस क्षेत्र में एक निश्चित मार्ग को अपनाया है और वह मार्ग है : समझौते का मार्ग तथा उपनिवेशवाद एवं जातीय भेदभाव का विरोध । युद्ध का खतरा विश्व के लिए घातक है ।

श्री जय प्रकाश नारायन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे मेरा कोई पत्र नहीं ले कर गये थे । वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान--दोनों में साम्प्रदायिकता को समाप्त किया जाय और मैं इस काम में कोई बाधा नहीं डालना चाहता । काश्मीर के बारे में हमारी वही नीति है जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री की थी । मैं अलग-अलग रहने में कोई विश्वास नहीं रखता बल्कि दूसरों के साथ विचार-विमर्श करके दूसरों का मत जानने में विश्वास रखता हूं । चीन के सम्बंध में स्थिति वैसी ही हैं, किन्तु आवश्यक समझने पर उनके साथ बात-चीत की जा सकती है । हम अपनी रक्षा-सेनाओं को सुदृढ़ बना रहे हैं और इस बारे में रक्षा-मंत्री सोमवार को वक्तव्य देंगे । मैलेशिया के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बंध हैं और हमने सदा इस बात का समर्थन किया है कि इण्डोनेशिया और मैलेशिया को परस्पर मिल कर अपने मामले हल करने चाहियें । अन्त में मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र और समाजवाद को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और हम राजनैतिक स्थायित्व के लिए प्रयत्न-शील रहेंगे । समाजवाद से हमारे श्रमिकों का जीवन सुधरेगा और जन-कल्याण होगा ।

Shri Bagri : The Prime Minister may kindly specify that we shall not have any agreement with China by giving away ourland to her.

Shri PrakashVir Shastri (Bijnaur) **:** The Prime Minister has asked that no-body should interrupt him and if there is any question that may be asked after his speech is over. So I rise to ask him to tell the country through this house as to what is the policy of the Government in regard to Sheikh Abdullah because after his release the situation in Kashmir has deteriorated.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए वचनबद्ध है तो क्या वे इसके लिए भी वचनबद्ध हैं कि चीन ने आक्रमण द्वारा जिस भूमि पर कब्जा किया है उसे वार्तालाप द्वारा छुड़ाया जायगा ।

Shri Lal Bahadur Shastri : As far as Kashmir is concerned Sheikh Abdullah was released after eleven years. Naturally he had some ideas which he could not express and now after his release he had expressed them. So there is nothing alarming in it. If his activities tend to jeopardise the security of the country necessary action will be taken.

Shri Prakash Vir Shastri : When Sheikh Abdullah is talking of the secession of a part of the country, why Government is tolerating it ?

Shri Lal Bahadur Shastri : His tone about secession is now much subdued. He is careful to dissuade himself from doing anything which might deteriorate the communal situation. The question of Kashmir is an internal matter of the Kashmir Government. We should be patient in regard to that.

As regards China I do not like to close the doors for negotiations, provided that honourable basis is offered for that. Giving away a tract of land is not possible even for the Prime Minister. It is deplorable that when we follow the path at peaceful negotiations, it is that we are showing weakness. The fact is that one who holds peaceful talks is:not necessarily weak. We shall have talks with China but we cannot say as to what would be the results.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान): हम ने प्रधान मंत्री को दो घंट से भी अधिक समय तक सुना है किन्तु खेद है कि उन्होंने कुछ बातों का उत्तर ही नहीं दिया ।

हम स्पष्ट शब्दों में यह जानना चाहते थे कि वे नेहरू जी की नीति से तो विमुख नहीं होंगे और भारत की भूमि देकर तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा । हमें यह जानने में कोई रुचि नहीं कि प्रतिरक्षा मंत्री ने कहां कहां से शस्त्रास्त्र प्राप्त किये हैं। उन के उत्तर से हम सन्तुष्ट नहीं हुए। हमें आशंका है कि सरकार कोलम्बो प्रस्तावों पर इतनी बचनबद्ध है कि यह मामला खटाई में ही पड़ा रहेगा और देश के सम्मान और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा ।

श्री हनुमन्तैया द्वारा कहे गये सराहना के शब्दों के लिए मैं आभारी हूं । किन्तु उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि मेरा रुख प्रान्तीयता का रहा है । बंगाल में शरणार्थियों की समस्या एक प्रान्त की समस्या नहीं है बल्कि राष्ट्रव्यापी समस्या है । श्री त्रिदिब कुमार चौधरी द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को जिसमें कहा गया है कि इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जायगा इस सभा ने स्वीकार कर लिया था किन्तु खेद है कि उसे कार्यान्वित करने के लिये कुछ नहीं किया गया। मैं चुनौती देता हूं कि यहां कोई भी सदस्य यह बता दे कि मैं ने कभी प्रान्तीयता और सम्प्रदायिकता की बात कही है । अतः श्री मुरारका जैसे महत्वपूर्ण सदस्य की ओर से यह आरोप मिथ्या और अनुचित है ।

श्री नन्दा के भाषण से मुझे अत्यन्त निराशा हुई । वे इस प्रकार बोल रहे थे मानो ईश्वर के प्रतिनिधि सामान्य मनुष्यों को सम्बोधन कर रहे हों । उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यह प्रस्ताव लाकर लोकतंत्र का अनिष्ट किया है । मेरा दावा है कि हमने इस द्वारा लोकतंत्र के उद्देश्य की पूर्ति की है ।

प्रधान मंत्री ने खाद्यान्न के बारे में बहुत कुछ कहा किन्तु खाद्यान्न के मूल्यों का कोई उल्लेख नहीं । खाद्य मंत्री भी आत्म श्लाघ्य में लगे रहे और कह दिया कि मूल्य वृद्धि की जिम्मेदारी विपक्ष की है और यह न बताया कि सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में विफल क्यों रही है । आज स्थिति यह है कि इस मूल्य वृद्धि के कारण हजारों लोगों को दो जून भोजन नहीं मिलता । यहां श्री नन्दा जी खड़े होते हैं और कांग्रेस की प्रशंसा का बखान करने लगते हैं ।